



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गौवध निवारण अधिनियम में 03 अभियुक्तों को 35 दिवस का कारावास व ₹1500 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०-698/2003 धारा-3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सईद पुत्र अब्दुल हमीद 2.रईश पुत्र मु० रफीक निवासीगण खालेपुरा थाना कोतवाली नगर हमीरपुर 3.रंजीत पुत्र शंकरलाल केवट निवासी कालपी चौराहा थाना कोतवाली नगर हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 35 दिवस का कारावास व ₹1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एसपीओ श्री रणविजय
सिंह



विवेचक-
उ०नि० सहदेव सिंह



पैरोकार- थाना को० नगर
का० सोमनाथ